



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 89/18

निर्णय दिनांक:—05.06.2018

1. निर्मल सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 89 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 18-06-1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थिति:—

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेरके आदेश दिनांक 18-06-1999 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर अन्य को आवंटित होने के कारण खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में चक 21 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 234/56 में 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांत द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांत को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आया। श्री प्रभूराम पुत्र देवीलाल के उपस्थित आने पर निलामी में भूमि आवंटित हो चुकी है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांत को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांत ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा अविज्ञाप्ति है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांत को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांत का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांत ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-06-1999 के विरुद्ध अपील दिनांक 05-02-18 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांत का आवंटन प्रार्थना पत्र उपस्थित नहीं आने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांत किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-06-1999 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 05-02-2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांत ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तहसील पूगल के चक 21 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 234/56 में 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांत का आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी को निलामी में शामिल हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आया। श्री प्रभूराम पुत्र देवीलाल के उपस्थित आने पर निलामी में उक्त भूमि आवंटित हो चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांत को वादगत् भूमि के आवंटन हेतु किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।

(4) प्रकरण में अपीलांत द्वारा आवेदित रकबे के आवंटन हेतु अन्य आवेदकों द्वारा भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा जरिये निलामी अन्य आवेदक प्रभूराम पुत्र देवीलाल को वादगत् भूमि का आवंटन किया जा चुका है। विशेष आवंटन के नियमों में आवेदक द्वारा आवेदित भूमि के आवंटन का ही प्रावधान निहित है अन्यत्र भूमि के आवंटन का प्रावधान नहीं है। परन्तु

प्रकरण में चूंकि अपीलांट को अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार का नोटिस जारी किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में आदेश दिये जाते हैं कि आवंटी प्रार्थी को यह स्वतन्त्रता दी जाती है कि विभाग द्वारा विशेष आवंटन हेतु अन्य भूमि के प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते हैं तो वह आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 18-06-1999 बहाल रखा जाता है।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

